

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी नागौर
बड़जलास श्री गौरीशंकर शर्मा आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या 198/18

वादी

1-दीनाराम पुत्र मांगुराम जाति जाट
निवासी जसवन्ताबाद तहसील रियांबड़ी

बनाम

प्रतिवादीगण:-

- 1-रामसुख पुत्र मांगुराम
- 2-धर्मराम पुत्र मांगुराम
- 3-देवकरण पुत्र मांगुराम
- 4-राजेश पुत्र बीरमाराम
- 5-शोभा पुत्री बीरमाराम
- 6-गणुदेवी पत्नि बीरमाराम
- सभी जातियान जाट निवासीगण जसवन्ताबाद तहसील रियांबड़ी
- 7-तहसीलदार रियांबड़ी
- 8-पटवारी हलका जसवन्ताबाद


दावा बाबत घोषणा खातेदारी व बंटवाड़ा अंतर्गत धारा 88,53 आरटीएक्ट 1955

निर्णय

दिनांक :-12.06.2018

वादी निम्नलिखित वाद पेश करता है :-

1-यह है कि वादी व प्रतिवादीगण आपस में एक ही परिवार के सदस्य हैं। हिन्दू हैं व हिन्दू
मिताक्षरा शाखा से गर्वन होते हैं। जिनका सजरा खानदान निम्न प्रकार है :-



2-यह है कि ग्राम जसवन्ताबाद की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 1487 रकबा 0.01
हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1488 रकबा 7.90 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1488/2214 रकबा 0.18 हैक्टेयर
कुल रकबा 8.09 हैक्टेयर व मौजा जसवन्ताबाद के खसरा नम्बर 1189 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा
नम्बर 1190 रकबा 1.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1191 रकबा 1.50 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1192 रकबा
1.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1193 रकबा 0.01 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1194 रकबा 0.58 हैक्टेयर
कुल रकबा 4.21 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1697 रकबा 3.99 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1729 रकबा 1.
88 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1800/2223 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1906 रकबा 1.05
हैक्टेयर कुल रकबा 7.02 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1939 रकबा 1.59 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1880

रकबा 2.91 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1795 रकबा 4.89 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1801 रकबा 0.77 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1802 रकबा 0.38 हैक्टेयर कुल रकबा 8.02 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1707 रकबा 8.42 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1774/2281 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1775 रकबा 2.80 हैक्टेयर कुल रकबा 11.47 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1679 रकबा 0.08 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1666 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1867 रकबा 0.07 हैक्टेयर वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 से 6 की व खसरा नम्बर 1800/2224 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1801/2225 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1804 रकबा 0.73 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1805 रकबा 0.47 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1806 रकबा 1.12 हैक्टेयर मे से वादी व प्रतिवादीगण सं० 4,5,6 की खातेदारी आराजी आई हुई है जो वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 से 6 की पैतृक सह खातेदारी की आराजी है ।

3-यह है कि पेरा नम्बर 2 मे वर्णित आराजी को आगे वाद मे मुतनाजा आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा ।

4-यह है कि वादी व प्रतिवादीगण के बीच मे मौके पर बंटवाडा किया हुआ है व अलग अलग धोरे व पालिया दी हुई है व इसी माफिक काशत व काविज चले आ रहे है परन्तु खातेदारी मे नाम माफिक बंट के नही होने से वादी को भारी परेशानियो का सामना करना पड रहा है । इसलिए वादी यह बंटवाडा व घोषणा का वाद पेश कर रहा है ।

5-यह है कि मुतनाजा आराजी का बंटवाडा पक्षकारान ने कर लिया है इस प्रकार वादी व प्रतिवादीगण ने जो बंटवाडा किया जो निम्न प्रकार से है :-

वादी दीनाराम के बंट मे :-

मौजा जसवन्ताबाद के खसरा नम्बर 1487 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1488 रकबा 7.90 हैक्टेयर मे से रकबा 0.8066 हैक्टेयर व 0.8066 हैक्टेयर अलग अलग जगह पर माफिक नजरी नक्शा अनुसार व खसरा नम्बर 1906 रकबा 1.05 हैक्टेयर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 1800/2223 रकबा 0.10 हैक्टेयर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 1801 रकबा 0.77 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 1802 रकबा 0.36 हैक्टेयर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 1707 रकबा 8.42 हैक्टेयर मे से रकबा 3.55 हैक्टेयर उत्तरी तरफ का व खसरा नम्बर 1191 रकबा 1.50 हैक्टेयर मे से रकबा 0.35 हैक्टेयर पूर्वी तरफ पूर्वी माठ के सहारे सहारे बंट मे रखा गया है ।

मौजा जसवन्ताबाद के खसरा नम्बर 1800/2224 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1801/2225 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1804 रकबा 0.73 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1805 रकबा 0.47 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1806 रकबा 1.12 हैक्टेयर कुल रकबा 2.66 हैक्टेयर मे से शोभादेवी पुत्री बीरमाराम व गणूदेवी पत्नी बीरमाराम के स्थान पर वादी के नाम से घोषित की जावे ।

प्रतिवादीगण सं० 1 रामसुख के बंट मे :- मौजा जसवन्ताबाद के, खसरा नम्बर 1488 रकबा 7.90 हैक्टेयर मे से रकबा 1.6132 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शा अनुसार व खसरा नम्बर 1880 रकबा 2. हैक्टेयर मे से रकबा 1.6132 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शा अनुसार व खसरा नम्बर 1880 रकबा 2. हैक्टेयर मे से रकबा 1.6132 हैक्टेयर उत्तरी तरफ व खसरा नम्बर 1795 रकबा 4.89 हैक्टेयर

91 हैक्टेयर मे से रकबा 1.448 हैक्टेयर उत्तरी तरफ व खसरा नम्बर 1795 रकबा 4.89 हैक्टेयर सम्पूर्ण बंट मे रखा गया है ।

प्रतिवादीगण सं० 2 धर्माराम के बंट मे :-

मौजा जसवन्ताबाद के, खसरा नम्बर 1488 रकबा 7.90 हैक्टेयर मे से रकबा 1.6132 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शा अनुसार व खसरा नम्बर 1189 रकबा 0.01 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 1190 रकबा 1.10 हैक्टेयर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 1729 रकबा 1.88 हैक्टेयर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 1774/2261 रकबा 0.25 हैक्टेयर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 1775 रकबा 2.80 हैक्टेयर सम्पूर्ण बंट मे रखा गया है ।

प्रतिवादीगण सं० 3 देवकरण के बंट मे :-

मौजा जसवन्ताबाद के, खसरा नम्बर 1488 रकबा 7.90 हैक्टेयर मे से रकबा 1.6132 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शा अनुसार व खसरा नम्बर 1939 रकबा 1.59 हैक्टेयर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 1707 रकबा 8.42 हैक्टेयर मे से रकबा 4.856 हैक्टेयर दक्षिणी तरफ का बंट मे रखा गया है ।

9-यह है कि मुतनाजा खसरान की खातेदारी मे वादी का नाम माफिक बंट के नाम दर्ज नही होने से वादी को भारी परेशानियो का सामना करना पड रहा है । इसलिए वादी यह वाद पेश कर रहा है ।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन जबाब हेतू तलब किया गया। वादी मय वकील व प्रतिवादीगण मय वकील के कैम्प कोर्ट न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर अपना राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा पढकर सुनाया गया। सुन समझ सही होना स्वीकार किया गया। बाद पहचान के राजीनामा तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प जसनगर में पेश हुई । वकील पक्षकारान उपस्थित हुए। बहस वकुलाय सुनी गई। प्रतिवादी संख्या 7 उपस्थित। वकील पक्षकारान ने दौराने बहस बताया कि वादग्रस्त भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि है और आपस में सहमति से बंटवारा करवाना चाहते है। सभी एक ही परिवार के सदस्य है। राजीनामा के माफिक बंटवारा कर दिया जावे प्रतिवादी वाद को स्वीकार करते है।

वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर मौजूद राजस्व रेकार्ड जमाबंदी मौजा जसवन्ताबाद का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजी पक्षकारान की पैतृक भूमि है। पक्षकारान स्व.मांगूराम जी के वारिसान है। आपसी सहमति से पैतृक आराजी का बंटवारा करवाना चाहते है। जो विधिसम्मत है। अतः वादी का वाद जरिये राजीनामा के स्वीकार किया जाता है। वादी व प्रतिवादीगण के बीच निम्न प्रकार से बंटवाड़ा किया जाकर अलग अलग खातेदारी की घोषणा की जाती है कि :-

वादी दीनाराम के बंट मे :-

मौजा जसवन्ताबाद के खसरा नम्बर 1487 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1488 रकबा 7.90 हैक्टेयर मे से रकबा 0.8066 हैक्टेयर व 0.8066 हैक्टेयर अलग अलग जगह पर माफिक नजरी नक्शा अनुसार व खसरा नम्बर 1906 रकबा 1.05 हैक्टेयर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 1800/2223 रकबा 0.10 हैक्टेयर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 1801 रकबा 0.77 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 1802 रकबा 0.36 हैक्टेयर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 1707 रकबा 8.42 हैक्टेयर मे से रकबा 3.55 हैक्टेयर उत्तरी तरफ का व खसरा नम्बर 1191 रकबा 1.50 हैक्टेयर मे से रकबा 0.35 हैक्टेयर पूर्वी तरफ पूर्वी माठ के सहारे सहारे बंट मे रखा जाता है ।

मौजा जसवन्ताबाद के खसरा नम्बर 1800/2224 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1801/2225 रकबा 0.26 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 1804 रकबा 0.73 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1805 रकबा 0.47 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1806 रकबा 1.12 हैक्टेयर कुल रकबा 2.66 हैक्टेयर मे से शोभादेवी पुत्री बीरमाराम व गणूदेवी पत्नी बीरमाराम के स्थान पर वादी के नाम से घोषित की जाती है ।

प्रतिवादीगण सं0 1 रामसुख के बंट मे :- मौजा जसवन्ताबाद के , खसरा नम्बर 1488 रकबा 7.90 हैक्टेयर मे से रकबा 1.6132 हैक्टेयर नक्शा अनुसार व खसरा नम्बर 1880 रकबा 2. हैक्टेयर मे से रकबा 1.6132 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शा अनुसार व खसरा नम्बर 1795 रकबा 4.89 हैक्टेयर 91 हैक्टेयर मे से रकबा 1.448 हैक्टेयर उत्तरी तरफ व खसरा नम्बर 1795 रकबा 4.89 हैक्टेयर सम्पूर्ण बंट मे रखा जाता है ।

प्रतिवादीगण सं0 2 धर्मराम के बंट मे :-

मौजा जसवन्ताबाद के , खसरा नम्बर 1488 रकबा 7.90 हैक्टेयर मे से रकबा 1.6132 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शा अनुसार व खसरा नम्बर 1189 रकबा 0.01 हैक्टेयर सम्पूर्ण , खसरा नम्बर 1190 रकबा 1.10 हैक्टेयर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 1729 रकबा 1.88 हैक्टेयर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 1774/2261 रकबा 0.25 हैक्टेयर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 1775 रकबा 2.80 हैक्टेयर सम्पूर्ण बंट मे रखा जाता है ।

प्रतिवादीगण सं0 3 देवकरण के बंट मे :-

मौजा जसवन्ताबाद के , खसरा नम्बर 1488 रकबा 7.90 हैक्टेयर मे से रकबा 1.6132 हैक्टेयर माफिक नजरी नक्शा अनुसार व खसरा नम्बर 1939 रकबा 1.59 हैक्टेयर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 1707 रकबा 8.42 हैक्टेयर मे से रकबा 4.856 हैक्टेयर दक्षिणी तरफ का बंट मे रखा जाता है ।

प्रतिवादीगण सं0 4 राजेश व गणूदेवी के बंट मे :-

मौजा जसवन्ताबाद के खसरा नम्बर 1488 रकबा 7.90 हैक्टेयर मे से रकबा 1.4332 हैक्टेयर नम्बर 1488/2214 रकबा 0.18 हैक्टेयर सम्पूर्ण व खसरा

नम्बर 1697 रकबा 3.99 हैक्टेयर सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 1880 रकबा 2.91 हैक्टेयर में से रकबा 1.448 हैक्टेयर दक्षिणी तरफ व खसरा नम्बर 1667 रकबा 0.07 हैक्टेयर में से रकबा 0.0112 हैक्टेयर पूर्वी तरफ का बंट में रखा जाता है ।

वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 से 4 के सामलाती रास्ता हेतु बंट में :-

मौजा जसवन्ताबाद के खसरा नम्बर 1488 रकबा 7.90 हैक्टेयर में से रकबा 0.014 हैक्टेयर रास्ता हेतु माफिक नजरी नक्शा अनुसार तरमीम किया जावे ।

प्रतिवादीगण सं० 1 रामसुख व प्रतिवादीगण सं० 4 राजेश के रास्ता हेतु सामलाती बंट में :-

मौजा जसवन्ताबाद के खसरा नम्बर 1880 रकबा 2.91 हैक्टेयर में से रकबा 0.014 हैक्टेयर पूर्वी माठ के सहारे सहारे रामसुख के बंट तक तरमीम किया जावे ।

वादी दीनाराम व प्रतिवादीगण सं० 3 देवकरण के रास्ता हेतु सामलाती बंट में :-

मौजा जसवन्ताबाद के खसरा नम्बर 1707 रकबा 8.42 हैक्टेयर में से रकबा 0.014 हैक्टेयर पूर्वी माठ के सहारे सहारे दीनाराम के बंट तक तरमीम किया जावे ।

वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 से 4 के रास्ता हेतु सामलाती बंट में :-

मौजा जसवन्ताबाद के खसरा नम्बर 1679 रकबा 0.08 हैक्टेयर गे.मु.रास्ता वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 से 4 के नाम से घोषित की जाती है ।

वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 से 3 के रास्ता हेतु सामलाती बंट :-

मौजा जसवन्ताबाद के खसरा नम्बर 1667 रकबा 0.07 हैक्टेयर में से रकबा 0.014 हैक्टेयर उत्तरी माठ के सहारे सहारे तरमीम किया जावे ।

वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 से 3 के सामलाती बंट में :-

मौजा जसवन्ताबाद के खसरा नम्बर 1667 रकबा 0.07 हैक्टेयर में से रकबा 0.0448 हैक्टेयर पश्चिमी तरफ बंट में रखा जाता है ।

वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 से 3 के सामलाती बंट में :-

मौजा जसवन्ताबाद के खसरा नम्बर 1666 रकबा 0.01 हैक्टेयर वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 से 3 के सामलाती बंट में रखा जाता है ।

प्रतिवादीगण सं० 5 ने मुतनाजा आराजी में कोई बंट नहीं रखा है । इसलिए इनका नाम राजस्व रेकॉर्ड से हटाया जाता है ।

तहसीलदार रियांबड़ी उपरोक्तानुसार बंटवाड़ा कर माफिक बंट के अलग अलग खातेदारी घोषित की जाकर अलग अलग राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करें व राजस्व नक्शों में तरमीम की जावे । इसी आशय का डिक्री पर्चा जारी हो । खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें ।

नोट:-उपरोक्त खसरान में सें अगर बैंक के रहन रखा गया हो तो रहन यथावत रहेगा ।

(गौरीशंकर शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी (मि.गोर)
राजस्व लोक अदालत कैम्प जसवन्ताबाद

निर्णय दिनांक 12.06.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प जसवन्ताबाद में सुनाया गया ।

(गौरीशंकर शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी (मि.गोर)
राजस्व लोक अदालत
राजस्व लोक अदालत कैम्प जसवन्ताबाद